



सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साअधिकार प्रकाशित

Published by Authority

श्रावण 4, शुक्रवार शाके 1941-जुलाई 26, 2019
Sravana 4, Friday, Saka 1941-July 26, 2019

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये
कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (गुप-3) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जुलाई 24, 2019

एस.ओ.71 :-गर्भधारण-पूर्व एवं प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 57) की धारा 17 की उप-धारा (2) सपठित उप-धारा (3) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इस विभाग द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक एफ.23(2)चिकि.एवं स्वा./गुप-3/2003/पार्ट दिनांक 01.07.2003, समय-समय पर यथा संशोधित, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में विद्यमान अभिव्यक्ति “विशिष्ट शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग” के स्थान पर अभिव्यक्ति “अतिरिक्त मिशन निदेशक (एन एच.एम.) एवं निदेशक (आई.ई.सी.) चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग” प्रतिस्थापित की जाएगी।

(संख्या प.23(2)चिस्वा./गुप-3/2003 पार्ट)

राज्यपाल की आज्ञा से,

डा० वीरेन्द्र सिंह,

उप शासन सचिव।